**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग**

**राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2563**

**19 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए**

 **नियंत्रण रेखा पर युद्धविराम का उल्लंघन**

**2563. श्री किरनमय नन्दा:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सीमा और नियंत्रण रेखा पर युद्धविराम का उल्लंघन एक सामान्य घटना बन गई है;

(ख) क्या सरकार युद्धविराम उल्लंघनों को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सुभाष भामरे)**

(क) से (घ): **पाकिस्तान सीमा और नियंत्रण रेखा पर युद्धविराम उल्लंघन होते हैं। भारतीय सेना/सीमा सुरक्षा बल द्वारा युद्धविराम उल्लंघनों में यथा-आवश्यक उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त युद्धविराम के उल्लंघन के सभी मामलों को दोनों देशों के सैन्य संक्रिया महानिदेशालयों के बीच साप्ताहिक वार्ताओं के साथ-साथ हॉटलाइन, फ्लैग बैठकों के स्थापित तंत्र के माध्यम से उपयुक्त स्तर पर पाकिस्तान के प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है। सीमा सुरक्षा बल भी अपने समकक्ष के साथ विभिन्न स्तरों पर वार्ता करता है।**

**\*\*\***